# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—49/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री नारायण जाति नाई निवासी बड़ोदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.................... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. राधे पुत्र छोटेलाल जाति नाई,
2. मुरारी पुत्र छोटेलाल जाति नाई,
3. मोहन पुत्र छोटेलाल जाति नाई,
4. मुकेश पुत्र छोटेलाल जाति नाई,
5. सूका उर्फ पुत्र छोटेलाल जाति नाई निवासीयान ग्राम बड़ौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.................वादी/ असल रेस्पो0

6. सोबीराम पुत्र पूरणा जाति गुर्जर,
7. दाताराम पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर,
8. कन्हैया पुत्र चेतराम जाति गुर्जर,
9. बलराम पुत्र चेतराम जाति गुर्जर,
10. रत्तीराम पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर,
11. नवलासिंह पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर,
12. अतरी पत्नि दयाराम जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बड़ौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
13. सब रजिस्ट्रार कठूमर जिला अलवर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 ।

................प्रतिवादी/ तर0रेस्पो0

उपस्थित :—
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भरत जैन अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

30/8/18

1

::: निर्णय :::

दिनांक :—30.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकराहर हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इंस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 716 रकबा 0.51 है0, 773 रकबा 0.72 है0, 774 रकबा 0.77 है0 किता 3 रकबा 2.00 है0 व ख0 नं0 हाल 735 रकबा 1.10 है0, ग्राम बड़ोदाकान तहसील कठूमर में स्थित है । साबिक आराजी ख0 नं0 530 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, 546 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 560 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा किता 3 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बड़ौदाकान रिखबचन्द, दीपचन्द पुत्रान हरबक्श निवासी बड़ौदाकान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी कुल रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से दिनांक 18.06.1958 को रामज़ीलाल, नेमीचन्द जैन ने 1/4 हिस्सा झब्बूराम पुत्र बसन्ती जैन ने 1/4 हिस्सा नरेश कुमार पुत्र रामचरण जैन ने 1/4 हिस्सा, भगवान, छोटेलाल, रामसिंह पुत्रान नारायण ज़ाति नाई ने 1/4 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा बाद खरीद रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खातेदारी इन्तकाल दर्ज व तस्दीक हो गया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2021 में खरीददारान उक्त खरीदशुदा आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये तथा मुताबिक हिस्सा काश्त करने लग गये । भगवान, छोटेलाल, रामसिंह तीनों सगे भाई नारायण की संतान हैं । भगवान निसंतान सन् 2007 में फौत हो गया तथा छोटेलाल जो वादीगण के पिता थे सन् 1980 में फौत हो गये जिनके पांच लड़के वादीगण हैं तथा रामसिंह जीवित है जो उक्त केस में प्रतिवादी सं0 1 है । भगवान निसंतान था जो जीतेजी वादीगण के पास ही रहता था तथा वादीगण ने ही भगवान की वृद्धावस्था में सेवा चाकरी की थी जिस सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर भगवान ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपनी तमाम चल व अचल सम्पति बाबत दि0 08.04.1985 को वादीगण के हक में रजिस्टर्ड कराया था जिसमें लिख दिया कि जीतेजी उसकी तमाम चल व अचल सम्पति का स्वयं मालिक रहेगा तथा मरने के बाद मेरी तमाम चल व अचल सम्पति के मालिक वादीगण ही रहेगें जो भगवान मृतक की अंतिम वसीयत थी । इस प्रकार विवादित आराजी रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा भगवान, छोटेलाल व रामसिंह पुत्रान नारायण नाई ने 1/4 हिस्सा खरीद किया था उस 1/4 हिस्से के भगवान मृतक का 1/12 हिस्सा था तथा वादीगण के पिता छोटेलाल का 1/12 हिस्सा था तथा शेष 1/12 हिस्सा प्रतिवादी रामसिंह का है । भगवान स्वयं के खरीदशुदा 1/12 हिस्से को वादीगण की सहायता से काश्त करता चला आ रहा था तथा भगवान के मरने के बाद वादीगण भगवान के 1/12 हिस्से व स्वयं के 1/12 हिस्से कुल 1/6 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा शेष 1/12 हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज है । उक्त दावें में नाईयों का खदीदशुदा 1/4 हिस्सा विवादित है । बन्दोबस्त से पूर्व कुल 36 बीघा 16 बिस्वा आराजी को जिसका 3/4 हिस्सा जैन लोगों का था व 1/4 हिस्सा नाईयों का था का आपस में घरेलू बंटवारा कर लिया था तथा मुताबिक घरेलू बंटवारा काश्त करते चले आ रहे थे । ग्राम बड़ौदाकान का बन्दोबस्त सम्वत् 2028 में हुआ था । वक्त बन्दोबस्त साबिक ख0 नं0 530, 546, 560 के हाल ख0 नं0 716, 717, 718, 719, 773, 774, 775,

776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 735, 732 कायम किये हैं जिनमें से ख0 नं0 716, 773, 774 सालिम नाईयों के कब्जे काश्त में होने के कारण नाईयों की खातेदारी में कर दिये तथा ख0 नं0 हाल 735 चारों खरीददारान को साझे में रख लिया अर्थात ख0 नं0 735 में 3/4 हिस्सा तो जैन व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज कर दिया व शेष 1/4 हिस्सा नाईयों की खातेदारी में दर्ज कर दिया लेकिन बन्दोबंस्त विभाग ने वक्त बन्देाबस्त प्रतिवादी सं0 1 से मिलकर ख0 नं0 716, 773, 774 में मृतक भगवान नाई जो 1/3 हिस्सा का कब्जे के अनुसार खातेदार था के नाम के इन्द्राज को हटा दिया तथा ख0 नं0 735 में से भगवान का नाम हटा दिया जो गलत है तथा वादीगण के खिलाफ शून्य है । कानूनन बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे । इसलिए वादीगण उक्त आराजी में स्वयं का 1/3 हिस्सा व मृतक भगवान का 1/3 हिस्सा जरिये वसीयत प्राप्त यानि कुल 2/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं । ख0 नं0 हाल 735 में से बन्दोबस्त विभाग ने नाईयों के 1/4 हिस्सा में छोटेलाल जो वादीगण के पिता थे को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी रामसिंह को 1/8 भाग का खातेदार काश्त दर्ज कर दिया तथा भगवान नाई का नाम हटा दिया जो गलत इन्द्राज किया है । उसके बाद ख0 नं0 735 में जो वादीगण के पिता को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा था को भी प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जमाबन्दी सम्वत् 2048 में हटवा दिया जो इन्द्राज भी गलत है तथा वादीगण ख0 नं0 735 में 1/4 हिस्सा में भगवान के 1/12 हिस्सा जरिये वसीयतनामा व स्वयं के पिता के 1/12 हिस्सा यानि ख0 नं0 735 में 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्से की घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी हैं । ख0 नं0 735 में महेशचन्द का 1/4 हिस्सा था जिस महेशचन्द जैन ने स्वयं के 1/4 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह नाई को बय कर दिया इस प्रकार ख0 नं0 735 में रामसिंह का महेशचन्द से खरीदशुदा 1/4 हिस्सा वो तीनों भाईयों के खरीदशुदा 1/4 हिस्से में से 1/12 हिस्सा कुल 1/3 हिस्सा का खातेदार है तथा नरेशकुमार, धर्मचन्द, बाबूलाल पुत्रान रामचरण का 1/4 हिस्सा था जिन्होंने उक्त 1/4 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0 7 अतरी पत्नि दयाराम गुर्जर को बय कर दिया वो प्रतिवादी सं0 7 के नाम खातेदारी का इन्तकाल हो गया तथा झब्बूराम पुत्र बसन्ती जैन का 1/4 हिस्सा था जिन्होंने 1/4 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0 7 सोबीराम को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 को 1/8 हिस्सा बय कर दिया जिस खरीददारान के हक में इन्तकाल खातेदारी स्वीकार हो गया । इस प्रकार ख0 नं0 735 में 1/4 हिस्सा अतरी गुर्जर का व 1/4 हिस्सा सोबीराम, दाताराम, चेतराम, रत्तीराम, नवला का है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का है तथा शेष 1/6 हिस्सा वादीगण का है तथा इसी अनुसार वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है । प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को धमकी दी है कि ख0 नं0 716, 773, 774 किता 3 रकबा 2.00 है0 में से मृतक भगवान का नाम व ख0 नं0 735 में से भगवान व तुम्हारे पिता का नाम हटवा दिया है तथा अब तुम्हे शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने दूंगा । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित आया व प्रतिवादी सं0 2 ल0 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी सं0 1 ने कोई जवाब दावा पेश नहीं

किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 29.05.2017 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 29.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बंहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी / रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट का दावा पेश किया जिसमें ख0 नं0 530, 546, 560 रकबा 36.16 बीघा का खातेदार शिखर चन्द था । दि0 18.6.1958 को 36.16 बीघा में से 1/4 हिस्सा रामजीत पुत्र नेमीचन्द ने, 1/4 हिस्सा झब्बू पुत्र बसन्ती ने, 1/4 हिस्सा नरेश ने, 1/4 हिस्सा भगवान, छोटेलाल, रामसिंह नाई ने खरीद लिया । वादी के अनुसार बाद खरीद सम्वत् 2021 में अपने नाम नामान्तकरण दर्ज हो गये । बहस में आगे कहा कि सम्वत् 2028 में भगवान लावल्द फौत हो गया तथा भगवान का नाम छोड़ दिया और छोटेलाल व रामसिंह के नाम 1/4 हिस्से में से 1/2–1/2 कर दी । बन्दोबस्त के दौरान नये नम्बर 716, 717, 718, 719, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 732 व 735 किता 16 नम्बर कायम किये गये हैं । जब बंटवारा हुआ तो ख0 नं0 716, 773, 774 व 735 बंटवारे में भगवान, छोटेलाल, रामसिंह के हिस्से में आये । दि0 8.4.1985 को भगवान लावल्द ने वसीयत छोटेलाल के पुत्रों के पक्ष में कर दी । वादी कथन के अनुसार वसीयत के आधार पर खातेदारी चाही और भगवान का नाम बन्दोबस्त ने गलत दर्ज कर दिया उसे कलमजन करें । दावा दर्ज होने पर दावा चलता रहा । रामसिंह वृद्ध था । वकील ने हस्ताक्षर करवा लिये कि जरूरत पड़ने पर बुला लेगें, आये नहीं । तहत न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन कराया जिसमें 22.9.2016 को जवाब दावा बन्द कर दिया, शेष प्रतिवादी 2 ल0 9 के लिए आदेशिका साईलेन्ट थी तथा 22.9.2016 को ही वास्ते साक्ष्य वादी लगा दी । चेतराम 2013 में ही मर गया और अन्य के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दि0 28.4.2017 की आदेशिका से 13.7.2017 लिखी हुई है परन्तु बीच में ही 5.5.2017 लगा दी तथा दि0 18.5.2017 कैम्प में लगी । इस तिथि का मुझे कोई नोटिस नहीं दिया । साक्ष्य हो गयी तथा कैम्प में ही दि0 26.5.2017 तारीख लगा दी । दि0 26.5.2017 को ही बहस सुनी और आदेश में पत्रावली नियत कर दी । अपीलांट ने दि0 26.5.2017 को एक प्रार्थना पत्र लगाया कि साक्ष्य से जिरह की मोहलत दी जावें और अपीलांट की साक्ष्य ली जावें । निर्णय में हमारे अनुसार प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी और दि0 28.5.2017 निर्णय में नियत कर दी । कानूनी बिन्दू यह है कि अपीलांट को जिरह और साक्ष्य का मौका क्यों नहीं दिया गया ? नियम में ऐसा नहीं है कि यदि अपीलांट लिखित जवाब पेश नहीं करता तो क्या अपीलांट को साक्ष्य व जिरह पेश करने का मौका नहीं दिया जाता । यदि अपीलांट का प्रार्थना पत्र पहले निर्णित होता तो अपीलांट रिवीजन में जाता जिसका अपीलांट को मौका नहीं मिला । जब तक वसीयत के गवाह प्रभावित न हो तो उसके आधार पर रीलीफ नहीं मिल सकती है । अतः वसीयत के गवाह नहीं है । वसीयत सिद्ध नहीं हो तब तक वादीगण को खातेदारी नहीं दी जा सकती है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि भगवान लावल्द फौत हो गया । अपीलांट की पत्नियों को गिफ्ट डीड पेश कर दी तथा अपीलांट को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला । मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित नहीं हो सकती है । जब आराजी बैंक में रहन रखी हुई थी तथा बैंक को पक्षकार बनाना चाहिए था । सन् 1985 में छोटेलाल, रामसिंह ही खातेदार थे तथा वक्त वसीयत तब वसीयत के आधार पर भगवान नाम रेकार्ड में नहीं था । सन् 1980 में 1/2–1/2 हिस्सा दर 1/4 हिस्सा आया तो 46 वर्ष बाद दावा कर रहे हैं । इस तरह से इनको पहले से ही जानकारी थी । वादी/असल रेस्पो0 का क्लीन हैण्ड से दावा नहीं है । खुद की आराजी को पत्नियों को गिफ्ट कर रहे हैं । वकील ने जिरह नहीं की तो बन्द जिरह पर उच्च न्यायालय में कोस्ट पर मौका दिया जाता जो अपीलांट को मौका नहीं दिया गया है । प्राकृतिक न्याय के अनुसार उभयपक्षों को सुना जावें तथा अपीलांट को एक मौका जिरह का भी नहीं दिया है । वसीयत के बाद कब्जा लिया ये नहीं बताया तो इससे स्पष्ट है कि हम 1/2–1/2 हिस्से के कब्जे में हैं । इसलिए अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2012 पेज 706, आर.बी.जे. 2014 पेज 721, आर.बी.जे. 1999 पेज 158 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि इस तथ्य से हम सहमत हैं कि नारायण के तीन पुत्र थे जिन्होंने आराजी खरीदी है । इसके साथ ही दावे के तथ्य दोहराये । स्वअर्जित सम्पति तीनों भाईयों की थी । भगवान लावल्द फ़ौत हो गया जो छोटेलाल के पास ही रहता था मिलकर काश्त करते थे । सेवाचाकरी से वसीयत कर दी । छोटेलाल सन् 1980 में ही मर गया । सेवा से वसीयत की है । छोटेलाल के वारिसान मालिक हो गये । आगे कहा कि यदि बन्दोबस्त ने गलत इन्द्राजात कर दिये तो क्यों मैं उसका मालिक नहीं हो सकता हूं ? जमाबन्दी सम्वत् 2021 में हिस्सा इन्द्राज अंकित हैं तथा इन्तकाल का भी हवाला है । सन् 2028 की जमाबन्दी में तीनों नये नम्बरों पर तीनों के नाम आनी चाहिए परन्तु दो के ही नाम 1/2–1/2 कर दिया । ख. नं. 735 में भी यही स्थिति है । इन्हें चैलेन्ज करने के लिए ही वादीगण ने तहत न्यायालय में दावा किया और रीलीफ दी । सम्वत् 2048 की जमाबन्दी का अवलोकन कराया जिसमें ख0 नं0 735 में वादीगण का नाम भी हटा दिया और रामसिंह के नाम 1/2 दर्ज कर दिया जबकि इसमें 1/2–1/2 आनी चाहिए । भगवान की मौत के बाद छोटेलाल के वारिसान का हिस्सा आया तब हम 2/3 के है और रामसिंह 1/3 हिस्से का है । जो पत्नियों के नाम की है वह पैतृक सम्पति का बताते हुए कहा कि वादीगण को तो वसीयत से आराजी मिली है । यह भी कहा कि न्यायालय सीधे ही बिना साक्ष्य, तनकी के एकपक्षीय सुनकर निर्णय पारित कर सकती है ।

जवाब बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि वसीयत साबित है । प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है । वसीयत को अपीलांट ने गलत नहीं बताया है । केवल यह कहा है कि वक्त वसीयतकर्ता भगवान खातेदार नहीं था । इस प्रकार वसीयत है तो अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है । चेतराम के खिलाफ कोई डिक्री नहीं है जो मर गया पार्टीशन के लिए फोरमल पार्टी है जो न्यायालय ने नहीं दी । अपीलांट ने जो आदेशिकाओं का हवाला दिया उसका कोई मतलब नहीं है । जब जवाब पेश नहीं किया तो न्यायालय आगे की कार्यवाही ही करता है । अपीलांट ने यह नहीं बताया कि भगवान की आराजी पर अपीलांट कैसे

मालिक हैं । अपीलांट का विवादित आराजी से कोई संबंध व अधिकार नहीं है । यदि मैरिट से प्रभावित नहीं है तो प्रकरण को तहत न्यायालय को क्यों प्रतिप्रेषित किया जावें । बैंक से असल रेस्पो0 को कोई रीलीफ नहीं चाहिए । तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । अपने कथन की ताईद में आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.डी. 1991 पेज 496, आदेश 8 नियम 10, सैक्शन 227 आर.टी.एक्ट व डी.एन.जे. 2000–01 पेज 245 पेश किये ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रकरण में कानूनी बिन्दू ये है कि प्रतिवादी/अपीलांट ने जवाब दावा पेश नहीं किया और जवाब बन्द कर दिया, परन्तु कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि उन्हें वादी की साक्ष्य से जिरह की अनुमति दी जावें । तहत न्यायालय ने यह अनुमति नहीं दी । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है ।

दूसरा कानूनी बिन्दू ये है कि क्या कन्टेस्ट केस में यदि विरोधी पक्ष (यहां प्रतिवादी) बहस करना चाहे तो उसे मौका दिया जाना चाहिए ?

तीसरा कानूनी बिन्दू ये भी है कि मृतक भगवान ने जब वसीयत की थी, उस समय वह रेकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं था तो क्या वादीगण उस वसीयत के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है या नहीं ?

इन तीनों कानूनी बिन्दुओं का विवेचन करने पर न्यायालय का यह मत है कि वादी की साक्ष्य से यदि प्रतिवादी जिरह करना चाहते हैं तो उन्हें न्याय की दृष्टि से अवसर दिया जाना चाहिए तथा उभयपक्षों को बहस का भी मौका मिलना चाहिए ।

एक बिन्दू यह भी है कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 28.4.2017 को साक्ष्य वादी में नियत कर आगामी तारीख पेशी 13.07.2017 नियत की थी । उसके बाद दिनांक 05.05.2017 की आदेशिका दर्ज कर दिनांक 18.05.2017 नियत कर दी । दि0 18.05.2017 की आदेशिका में शपथपत्र साक्ष्य वादी ली जाकर दि0 26.05.2017 को अंतिम बहस नियत कर दी । दि0 26.05.2017 को प्रतिवादी/अपलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी रामसिंह की साक्ष्य नहीं हुई है और साक्ष्य वादी से जिरह भी नहीं की है । वकील प्रतिवादी को मौका दिया जावें, परन्तु तहत न्यायालय द्वारा दि0 26.05.2017 को बहस सुनकर दि0 29.05.2017 को निर्णय पारित कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दुओं का भी विवेचन किया जाना था, परन्तु कैम्प कोर्ट में निर्णय के कारण सी.पी.सी. के प्रावधानों को प्रावधित नहीं किया गया है और न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की मोहताज हैं ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दि0 29.05.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

 3098

जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर वर्णित कानूनी बिन्दुओं का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर 6 माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्ष तहत न्यायालय में नियत तिथि 16.10.2018 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.8.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर